संख्या- 3/2022/280/23-8-2022

प्रेषक,

ज्ञानेश्वर त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-8 **लखनऊ : दिनांक: 25 मार्च, 2022**

विषयः श्री कोमल चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की पत्नी श्रीमती नीलम जैन की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-4591ईए/123ईए/04, दिनांक 17.11.2021 एवं पत्रांक-566ईए/ 123ईए /2004, दिनांक 11.03.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2014 के नियम-20 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री कोमल चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग की पत्नी श्रीमती नीलम जैन का उपचार दिनांक 11.05.2021 से 17.05.2021 तक प्रदेश के बाहर इण्डियन स्पाइनल इन्जुरीज सेन्टर, नई दिल्ली में अन्तः रोगी के रूप में कराये जाने पर व्यय धनराशि रू0 7,55,902/- के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी के पत्र दिनांक 18.10.2021 एवं 25.01.2022 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 6,71,423/- (रूपये छः लाख इकहत्तर हजार चार सौ तेईस मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दावे से संबंधित बिल बाउचर्स, अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूलरूप में इस आशय से भेजे जा रहे हैं कि उल्लिखित धनराशि का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि उक्त उपचार के सम्बन्ध में यदि पूर्व में कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, तो भुगतान से पूर्व उसका समायोजन अवश्य कर लिया जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के साथ संलग्न बिलों में अंकित धनराशि का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय के ''अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2071 पेंशन तथा अन्य सेवानैवृत्तिक हित लाभ-01 सिविल-800 अन्य-04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49 अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त (मूलरूप में)

भवदीय,

(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) संबंधित कोषाधिकारी।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(4) मुख्य अभियंता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी।

(5) श्री कोमल चन्द्र जैन, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निवासी-906, चन्द्र विहार कालोनी (बी0के0डी0 छात्रावास के पास) झांसी द्वारा स्टाफ आफीसर, व्यवस्थापन (क) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।